पंजीकृत

अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
21-बी, अशोक मार्ग, लखनऊ ।

संख्या:-एक-दो-136-84/ 1568 दिनांक: 01 अप्रैल, 1991

:: नियुक्ति-आदेश ::

श्री [illegible] सक्सेना
[illegible] सक्सेना.
[illegible], इलाहाबाद

शासनादेश संख्या:1035/छ:-पु0-9-91-3111701/90, दिनांक 27 मार्च, 1991 के अन्तर्गत आपको सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर वेतनमान रू0 2000--60-2300-द0रो0-75-3200 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, प्रथम, मुरादाबाद में 6 माह के प्रशिक्षण हेतु अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है ।

2. उपर्युक्त प्रशिक्षण पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 15 अप्रैल, 1991 से प्रारम्भ होगा । इस लिये आप 15 अप्रैल, 1991 के पूर्वान्ह में पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, प्रथम, मुरादाबाद में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित होकर अपना कार्यभार ग्रहण करें ।

3. उक्त प्रशिक्षण के समय आपको वेतन के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ते तथा अन्य भत्ते, जो भी अनुमन्य हो, देय होंगे ।

4. पी0टी0सी0, प्रथम, मुरादाबाद में प्रशिक्षण हेतु कार्यभार ग्रहण करने के लिये आपको कोई यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा ।

5. आपकी सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा अस्थाई अधिकारियों के लिये निर्धारित सेवा शर्तों के अनुसार होगी । यह नियुक्ति पूर्णत: अस्थायी है तथा आपकी पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी । यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा समस्त सम्बन्धित सिविल मिसलेनियस रिट संख्या:5519, 4932, 5091, 5943, 6246, 6183, 6160, 6157, 6328 तथा 10621/82 ध्यान चन्द्र मिश्राएवं अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य, रिट संख्या:11469/84-देवेन्द्र नाथ शुक्ला एवं अन्य बनाम स्टेट, रिट नोटिस संख्या-13654/84-मोहम्मद मोबीन खाँ व अन्य बनाम स्टेट व अन्य, रिट नोटिस संख्या:17194/84-अशोक कुमार व अन्य बनाम स्टेट व अन्य, रिट नोटिस संख्या:16168/84-शिव कुमार लाल बनाम राज्य सरकार व अन्य रिट नोटिस संख्या:12015/85-अवध प्रसाद बनाम स्टेट व अन्य तथा माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बैंच, लखनऊ द्वारा सम्बन्धित सिविल मिसलेनियस रिट संख्या:491/87 ओम प्रकाश दीक्षित व अन्य बनाम स्टेट व अन्य में दिये गये निर्णयों के अधीन होगी ।

6. कालान्तर में आपकी पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारित करने में आप द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि भी महत्वपूर्ण होगी । इसलिये अपनी वरिष्ठता बनाये रखने के लिये आप 15 अप्रैल, 1991 को पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, प्रथम, मुरादाबाद में कार्यभार अवश्य ग्रहण करें । यदि आप किसी कारण वश दिनांक 22.4.1991 तक पी0टी0सी0, प्रथम, मुरादाबाद में अपना कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तब यह समझ लिया जायेगा कि आप इस नियुक्ति में रूचि नहीं रखते हैं और तदनुसार आपकी नियुक्ति को निरस्त करने हेतु शासन को संस्तुति भेज दी जायेगी ।

.......2....

7. आप अपने साथ एक खाकी नेकर, एक सफेद नेकर एक सफेद फ्लीट फूट जूता, एक जोड़ी सफेद मोजा व कम से कम 1000/= रुपये की धनराशि अग्रिम लेकर आयेंगे ताकि आपको प्रारम्भ में कोई कठिनाई न हो । इसके पश्चात् आपका मासिक वेतन कार्यभार ग्रहण के दिनांक से जो देय होगा अभियोजन निदेशालय, लखनऊ द्वारा आहरित करके प्रधानाचार्य, पी०टी०सी०, प्रथम, मुरादाबाद के माध्यम से आपको भुगतान किया जायेगा ।

चमनलाल 1/4/1991
(चमन लाल)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन),
उ०प्र०, लखनऊ ।

संख्या: एक-दो-1(56-84)(1)/ 1568 तद्दिनांक

प्रतिलिपि प्रधानाचार्य, पुलिस प्रशिक्षण, महाविद्यालय, प्रथम, मुरादाबाद को उन 146 नव चयनित सहायक अभियोजन अधिकारियों की सूची के साथ जिनको यह नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है । कृपया निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें :-

(1). कार्यभार ग्रहण करने हेतु आने वाले नव चयनित सहायक अभियोजन अधिकारियों के आगमन पर उनके समुचित मार्गदर्शन की व्यवस्था ।

(2). जो नव चयनित सहायक अभियोजन अधिकारी दिनांक 22.4.91 तक कार्यभार ग्रहण करते हैं उनकी सूची तथा जो उक्त तिथि तक कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं उनकी सूची अलग-अलग दो प्रतियों में भेजने का कष्ट करें ताकि शासन को आवश्यक संस्तुतियों के साथ सूचित किया जा सके एवं अग्रिम कार्यवाही की जा सके ।

प्रतिलिपि:

(1). अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण), उ०प्र०, लखनऊ ।

(2). पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ ।

चमनलाल 1/4/1991
(चमन लाल)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन),
उ०प्र०, लखनऊ ।